

मांग संख्या 58  
मुख्य शीर्ष 2245

**मद क्रमांक-1 से 6**

अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षति के लिए ₹1600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजनों हेतु ₹16,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक-7 एवं 8**

जीव जन्तु के काटने डुबने से एवं खदान धसकने तथा रसोई गैस फटने आदि से मृत्यु होने पर सहायता हेतु ₹5000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजनों हेतु ₹50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक-9**

कोविड 19 से बचाव के लिए ₹2400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹24,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक-10**

अग्नि दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति के लिए सहायता हेतु ₹1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।